परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

संख्या-जी 5 एफए/05-47एफए/2000 दिनांक : 11 फरवरी, 2005

सेवा में,

1. प्रधान प्रबन्धक (के0कार्य0/ए0का0कार्य)
   उ0प्र0 परिवहन निगम कानपुर ।
2. प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान
   उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक
   उ0प्र0 परिवहन निगम ।
4. प्रबन्धक (आहरण-वितरण)
   उ0प्र0परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ ।
5. प्रबन्धक (कार सेक्शन)
   उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ ।

विषय:- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा की अनुमन्यता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित परिपत्र सं0- 2509एफए/03/224 एफए/93 दिनांक 25-11-93 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन से पुर्नविचारार्थ हेतु अनुरोध पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा बहाली आदेश शासन, शासनादेश सं0- 2053/30-2-2004-01/94 दि0 29-12-04 के साथ शासनादेश सं0- 50/30-2-2005/94 दिनांक 13-1-05 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उ0प्र0 परिवहन निगम के कर्मचारी/अधिकारी की चिकित्सा एवं परिचर्या नियमावली-1994 के नियम-23 के स्थान पर निम्न प्राविधान प्रतिस्थापित किये जाने के निर्देश दिये है :-

चिकित्सा नियमावली-1994 की धारा-23 के पुराना प्राविधान	चिकित्सा नियमावली-1994 की धारा-23 के स्थान पर प्रतिस्थापित नया प्राविधान
"निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व उ0प्र0 राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी इस नियमावली के अन्तर्गत यह सुविधा प्राप्त होगी जो उ0प्र0 शासन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुमन्य होगी ।"	"राजकीय रोडवेज संगठन के कार्मिकों जिनकी सेवायें दिनांक 1-6-1972 को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के गठन के फलस्वरूप परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति पर रखी गई थी और उ0प्र0 राजकीय रोडवेज संगठन (पदों का उत्सादन और कर्मचारियों का आमेलन) नियमावली-1982 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिवहन निगम में आमेलित हुए है, को उनकी सेवानिवृत्त पर शासनादेश सं0-5487-5-7-5579-71 दि0 30-11-77 द्वारा इसके लागू होने की तिथि से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों

.....2/-

Downloaded From www.upsrtc.com

को प्रदान की गई चिकित्सा सुविधा की भाँति इन्हे तथा इनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों/ डिस्पेन्सरियों में उसी स्तर और उसी सीमा तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें निःशुल्क प्राप्त होगी जो इन्हे सेवानिवृत्त के ठीक पूर्व प्राप्त थी ।"

भविष्य में चिकित्सा नियमावली-1994 की धारा-23 में पूर्ववत अंकित प्राविधानों के स्थान पर उपरोक्त आदेश अंकित कर तदनुसार पढ़ा जाय एवं दिनांक 1-6-1972 से पूर्व नियुक्ति पाये [नियमित] सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु उनके चिकित्सा बाउचर्स भेजे जाये ।

संलग्नक-उपरोक्त ।

[संजय अग्रवाल]
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- प्रधान प्रबन्धक/कार्मिक/उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उ0प्र0 परिवहन निगम के समस्त मान्यता प्राप्त संगठनों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें ।

[संजय अग्रवाल]
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded From www.upsrtc.com